## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

## पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 36 / 2017**

1. खेतासिंह
2. गुरलालसिंह

पिसरान साधूसिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। ––अपीलार्थीगण

**बनाम**

1. समराज सिंह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. जगराजसिंह उर्फ जुगराजसिंह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरतेजसिंह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. नायबसिंह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुखविन्द्रसिंह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर। ––रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 20.02.2017

**उपस्थितिः–**

श्री दिनेश छाबडा अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 15.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 88, 188, 92ए पेश कर चक 3 के.आर.डब्ल्यू. के खाता सं. 12/113 प.नं. 109/125 मु.नं. 38, कि. नं. 7 से 9 की 0.594है0 खाता सं. 31/150 प.नं. 109/125 मु.नं. 38 कि.नं. 9, 11 से 13, 18 की 1.177है0 कुल 1.777है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 6 का नाम उक्त आराजी में से कलमजन किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे भूमि को रहन, बैय नहीं करे तथा बेदखल करने से बाज व ममनू रहे।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जबाब दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित 5 वाद बिन्दु कायम किये गये।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 20.02.2017 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में जबाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा रेस्पों. का दावा डिक्री किया है जबकि अधी. न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

द्वारा तनकीयात विनिश्चय गलत किया गया है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, तनकीवार निर्णय का विश्लेषण निम्न अनुसार हैः–

तनकी सं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी को सावित करने के लिये वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य बैयनामा दिनांक 04.07.1981 ईएक्स–1 से ईएक्स–2 प्रदर्शित करवायें हैं। इस तनकी को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू.1 व पी.डब्ल्यू.2 ने साक्ष्य दी है। अधी. न्यायालय ने इस तनकी का निर्णय रेस्पों. के पक्ष में किया है। इस तनकी के सम्बन्ध में वकील अपीलांट ने अपील मीमों में आपत्ति उठाई है कि बेचान प्रारम्भतः शून्य है क्योंकि संयुक्त खाते की भूमि में हिस्सा विशेष का बेचान नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में न्यायालय का निष्कर्ष है कि पंजीबद्ध दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण न करने हेतु विधि अनुतोष राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 181 के तहत सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार तनकी नं. 1 का निर्णय अधी. न्यायालय ने वादी के पक्ष में करने में कोई भूल नहीं की है।

तनकी सं. 2 को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। चुंकि वादी विवादित भूमि का सदभावी केता है और राजस्व रिकार्ड में इसका अमल होना तनकी नं.1 से साबित है जो रेस्पों. के पक्ष में साबित है। इस सम्बन्ध में अपील मीमों अपीलांट द्वारा यह आपत्ति की गई कि स्थायी निषेधाज्ञा न होकर कब्जा काश्त में सम्बन्धित आपत्ति जाहिर की। इस सम्बन्ध में अपीलांट की आपत्ति का निस्तारण दावे या जबाब दावा पर बनी तनकी ही विवेचन योग्य है। आपत्ति तनकी से सम्बन्धित न होकर खारिज योग्य है।

तनकी सं. 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 व 2 पर था। विवादित भूमि अपीलांट क पैतृक भूमि होकर राजस्व अभियान में बंटवारे में अपीलांट को मिलना साबित करनी थी जिसमें अपीलांट स्वयं द्वारा यह स्वीकार करना कि वह शिविर में नहीं गया। अतः इस तनकी का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

इस सम्बन्ध में अपीलांट की आपत्ति है कि आपसी सहमति के अनुसार हुए बंटवारे को सदिंग्ध नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि जब बेचान दस्तावेज का रिकार्ड में अमल हो गया तथा वक्त दायरी दावा बंटवारे का अमल न होना प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की आपत्ति विधिक नहीं है।

तनकी सं. 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 व दो पर था। इस सम्बन्ध में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य परीक्षित नहीं हुए। अतः इस तनकी का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि तनकी सं. 3 की आपत्ति के निस्तारण अनुसार ही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन करते हुए वाद का निर्णय किया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)